रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1052] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937
No. 1052] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2015

**का.आ. 1334(अ).**—राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (राष्ट्रीय राजमार्गों, खंड और स्थायी पुल- लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के उपयोग के लिए फीस) नियमावली 1997 के नियम 3 और 9 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.1175 (अ) दिनांक 29.12.2000 के द्वारा मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, मुंबई या उनके अधिकृत विधायी प्रतिनिधि को महाराष्ट्र राज्य में रारा-17 (66) की पनवेल माहद पणजी सड़क पर किमी. 129/400 में सावित्री नदी पर स्थायी पुल के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर फीस एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838 (अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं.का.आ. 1175 (अ) दिनांक 29.12.2000 को एतद्द्वारा रद्द करती है क्योंकि सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने और सा.का.नि. 26 (अ) दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने के पश्चात् प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से वार्षिक राजस्व, प्रयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए वार्षिक व्यय से कम होगा इसलिए प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/42/2014/एमएएच(पी-6)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2015

**S.O. 1334(E).—**In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 9 of the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways, Section and Permanent Bridge- public Funded Projects) Rules 1997, the Central Government by notification number S.O. 1175 (E) dated 29.12.2000 of the Government India has authorized Chief Engineer (National Highways), Public Works Department, Mumbai or his authorized legal representative to collect fee on mechanical vehicles for the use of the Permanent Bridge across Savitri River at km.129/400 on Panvel Mahad Panaji Road of NH-17 (66) in the State of Maharashtra.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O.1175 (E) dated 29.12.2000 as the collection of user fee would not be viable as the annual revenue through user fee collection would be less than annual expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15 (E) dated 12.01.20011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26 (E) dated 16.01.2014.

[F. No. RW/NH-12037/42/2014-MAH(P-6)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.